

डिक्री मुकदमा इत्लादाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास

पीठासीन अधिकारी :-

प्रकरण संख्या:-74/2023

जीसीएमएस नं. 2023/156

हेमराज गूर्जर, R.A.S.

दायर दिनांक:- 20.06.2023

1. चेताराम उर्फ पप्पू
2. महेश
3. दिनेश
4. छिंगा उर्फ मुकेश
5. दामोदर
6. छोटेलाल
7. श्याम
8. हुलासी
9. ओमी उर्फ ओमप्रकाश
10. रुरमल

पुत्र लक्ष्मण निवासी मालीपाडा, केशवपुरा,
हिण्डौनसिटी जिला करौली, राज

पुत्र रामखिलाडी निवासी मालीपाडा, केशवपुरा,
हिण्डौनसिटी जिला करौली, राज

पुत्र स्व. कलुआ निवासी मालीपाडा, केशवपुरा,
हिण्डौनसिटी जिला करौली, राज

-----वादीगण-----10

बनाम

1. जिला कलक्टर जिला करौली
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन
3. अधिशाषी अभियन्ता सिचाई विभाग करौली
4. सहायक अभियन्ता सिचाई विभाग हिण्डौनसिटी
5. नगर परिषद हिण्डौन जरिये आयुक्त नगर परिषद हिण्डौनसिटी

-----प्रतिवादी-----05

दावा बाबत इनद्राज दुरुस्ती, घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा, मुकदमा नं0 181/11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री संजय शर्मा एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट मिन जानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थी/प्रतिवादी खिलाफ अप्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपटित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है, दावा वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 का इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.04.2024..को यह डिक्री जारी की गई।





(हेमराज गूर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली